रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III —खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2015/माघ 8, 1936
No. 33] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2015/MAGHA 8, 1936

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28, जनवरी, 2015

सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य)/एफएसएसएआई-2014 : खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित करता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे ;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनिमयों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) (संशोधन) विनियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में, विनियम 2.13 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"2.14 ग्लूटेन मुक्त खाद्य- (1) इन खाद्यों में एक या अधिक ऐसे संघटक हैं या ये ऐसे संघटकों से बने हुए हैं, जिसमें, जहां अंतर्निहित ग्लूटेन को कम कर दिया गया है और ग्लूटेन स्तर कुल मिलाकर 20 मिग्रा/किग्रा. से अधिक नहीं है, वहां चावल, राई, जौ, जई और ज्वार या रागी, दालें और फली हो सकती हैं जो उपभोक्ता को यथाविक्रीत या यथा वितरित खाद्य पर आधारित है।

(2) उत्पाद में, गेहूं या उसका कोई संघटक नहीं होता है और इसमें खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेंजिग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के उप विनियम 2.4.5 (52) में यथा उपबंधित लेबल घोषणा होगी ।

(3) ऐसा खाद्य, जिनकी प्रकृति, ग्लूटेन मुक्त आहार के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए उपयुक्त है को "विशेष आहार" , "विशेष आहारिकी" या किसी अन्य समतुल्य पद के रूप में नामित नहीं किया जाएगा । तथापि, ऐसे खाद्य के लेबल पर यह कथन हो सकेगा कि "यह खाद्य ग्लूटेन मुक्त प्रकृति का है" :

परंतु इसमें ऊपर यथावर्णित ग्लूटेन मुक्त के लिए आवश्यक सहयोजन उपबंधों का अनुपालन किया जाता है और ऐसे किसी कथन से उपभोक्ता भ्रमित नहीं होता है ।

2.15. 20 से ऊपर 100 मिग्रा./किग्रा. तक स्तर में ग्लूटेन अंतर्वस्तु कम करने के लिए विशेष रूप से प्रसंस्कृत खाद्य- इन खाद्यों में चावल, राई, जौ, जई, ज्वार या रागी, दालें और फली के एक या अधिक संघटक होते हैं, जिन्हें उनमें कुल मिलाकर 20 से ऊपर 100 मिग्रा./किग्रा. तक स्तर में उपस्थित अंतर्निहित ग्लूटेन को कम करने के लिए विशेष रूप से प्रसंस्कृत किया गया है, जो उपभोक्ता को यथाविक्रीत या यथा वितरित खाद्य पर आधारित है और इसमें खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेंजिग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के उप विनियम 2.4.5 (53) में यथा उपबंधित लेबल घोषणा होगी ।

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./187-ओ/14]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं.2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चात्‌वर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा किया गया:—

1. फा.सं. 4/15015/30/2011 तारीख 7 जून, 2013 ।
2. फा.सं. पी.15014/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013 ।
3. फा.सं. 5/15015/30/2012 तारीख 12 जुलाई, 2013 ।
4. फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, 5, दिसंबर, 2014

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th, January, 2015

No. 3-16/Specified Foods/Notification(Food Additive)/FSSAI-2014.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with clause (b) of sub-section (2) of section 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by the said sub section (2), for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110 002;

The Objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations, before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) (Amendment) Regulations, 2015.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, after regulation 2.13, the following regulations shall be inserted, namely:—

   "2.14 Gluten-free foods.- (1) These foods consist of or are made from one or more ingredients which may contain rice, rye, barley, oats and millets or ragi, pulses and legumes, where the inherent gluten has been reduced and the gluten level does not exceed 20 mg/kg in total, based on the food as sold or distributed to the consumer.

   (2) The product does not contain wheat or any of its ingredients and shall bear the label declaration as provided in the sub-regulation 2.4.5 (52) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011.

   (3) A food which, by its nature, is suitable for use as part of a gluten-free diet shall not be named as "special dietary", "special dietetic" or any other equivalent term. However, such a food may bear a statement on the label that "this food is by its nature gluten-free".

Provided that it complies with the essential composition provisions for gluten-free as described above and such a statement does not mislead the consumer.

2.15. Foods specially processed to reduce gluten content to a level above 20 up to 100mg/kg.- These foods consist of one or more ingredients from rice, rye, barley, oats, millets or ragi, pulses and legumes which have been specially processed to reduce the inherent gluten present in them to a level above 20 up to 100 mg/kg in total, based on the food as sold or distributed to the consumer and shall bear the label declaration as provided in the sub-regulation 2.4.5 (53) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulation, 2011.

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT III/4/Exty./187-O/14]

Note: - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification number F.No: 2-15015/30/2010, dated 1st August, 2010 and subsequently amended vide notification numbers:

(i) F.No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013.

(ii) F.No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013

(iii)F.No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013 and

(iv)F.No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5th, December, 2014

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28, जनवरी, 2015

सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य लेबलिंग)/एफएसएसएआई-2014. —खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित करता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकेंगे ;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनिमयों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) (संशोधन) विनियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में, विनियम 2.4 के उप विनियम 2.4.5 में उपखंड (51) पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(52) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.14 में वर्णित उत्पादों की दशा में उत्पाद के नाम के ठीक समीप्य में "ग्लूटेन मुक्त" शब्द मुद्रित होंगे, अर्थात् :--

"ग्लूटेन मुक्त"

(53) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.15 में वर्णित उत्पादों की दशा में उत्पाद के नाम के ठीक समीप्य में "न्यून ग्लूटेन" मुद्रित होंगे, अर्थात् :--

"न्यून ग्लूटेन"

युद्धवीर सिंह मलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./187-ओ/14]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 2-15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2015

No. 3-16/ Specified Foods/Notification (Food Labelling)/FSSAI-2014.—The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), is hereby published as required by the said sub section (2), for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110 002;

The Objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations, before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) (Amendment) Regulations, 2015.
   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, in regulation 2.4, in sub regulation 2.4.5, after sub-clause (51), the following sub- clauses shall be inserted, namely: —
   "(52) The term "Gluten-free" shall be printed in the immediate proximity of the name of the product in the case of products described in regulation 2.14 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely: —

"Gluten-Free"

(53) The term "Low-Gluten" shall be printed in the immediate proximity of the name of the product in the case of products described in regulation 2.15 of the Food Safety and Standards(Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

"Low-Gluten"

YUDHVIR SINGH MALIK, Chief Executive Officer

[ADVT III/4/Exty./187-O/14]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 notification No. 2-15015/30/2010 dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification number:

i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.